



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN  
GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 30, बुधवार, शाके 1938-सितम्बर 21, 2016  
Bhadra 30, Wednesday, Saka 1938-September 21, 2016

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 21, 2016

संख्या प. 2 (37) विधि/2/2016-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 15)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हुई)

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2016 है।

2. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 79,100/-रु. का प्राधिकृत किया जाना.-अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आये विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त संदत, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनाधिक और कुल मिलाकर मात्र 79,100/-रु. (उन्नासी

21(2)

राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 21, 2016

भाग 4(क)

हजार एक सौ) की कतिपय और राशियों का विनियोजन 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित उक्त सेवाओं के लिए किया जाना एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची  
(देखिए धारा 2)

(रूपयों में)

अतिरिक्त विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है

सेवाएं और प्रयोजन

दत्तमत

प्रभृत

योग

राजस्व

पूँजी

राजस्व

पूँजी

2

समेकित निधि

(प्रभृत व्यय)

अनुदानों के लिये मांगें

मांग संख्या-11

(विविध सामाजिक सेवाएं)

2250-अन्य सामाजिक सेवाएं

..

..

77,000

..

77,000

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और

3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

योग

..

..

77,000

..

77,000

मांग संख्या-20

(आवास)

2216-आवास

	..	..	2,100	..	2,100
योग	..	..	2,100	..	2,100
योग-समेकित निधि			79,100		79,100

मनोज कुमार व्यास  
प्रमुख शासन सचिव।

21(4) राजस्थान राज-पर, सितम्बर, 21 2016 भाग 4 (क)

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, September 21, 2016**

**No. F. 2 (37) Vidhi/2/2016.**-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Viniyog (Sankhya 3) Adhinyam, 2016 (2016 Ka Adhinyam Shankhyank 15) :-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2016**  
**(Received the assent of the Governor on the 19<sup>th</sup> day of September, 2016)**

An

Act

to authorise the appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2012-2013 ended on the 31st March, 2013 in excess of the amount granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title.**- This Act may be called the Rajasthan Appropriation (No. 3) Act, 2016.

**2. Authorisation of Rs. 79,100/- out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2012-2013.**- Certain further sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of **Rs. 79,100/-** (Rupees Seventy nine thousand one hundred) only paid from and out of the Consolidated Fund of the State towards defraying the several charges which come in course of payment during the year ended on the 31st day of March, 2013 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule are hereby authorised to be appropriated for such services in relation to the year ended on the 31st March, 2013 in excess of the amount granted for those services and for the said year.

THE SCHEDULE  
(See section 2)

(In Rupee.)

Services and Purposes	Excess Appropriation not exceeding to				Total
	Voted		Charged		
	Revenue	Capital	Revenue	Capital	
Consolidated Fund					
<b>Demands for Grants</b>					
<b>Demand Number- 11</b>					
(Miscellaneous Social Services)					
2250 - Other Social Services,	-	-	77,000	-	77,000
3425 - Other Scientific Research and,					
3435 - Ecology and Environment					
<b>Total</b>	-	-	77,000	-	77,000
<b>Demand Number-20</b>					
(Housing)					
2216 - Housing	-	-	2,100	-	2,100
<b>Total</b>	-	-	2,100	-	2,100
<b>Total - Consolidated Fund</b>			<b>79,100</b>		<b>79,100</b>

मनोज कुमार व्यास,

Principal Secretary to the Government.